न्यायालय–अपर सेशन न्यायाधीश फतेहपुर, जिला सीकर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी – विकास ऐचरा RJS (RJ00746)

सेशन प्रकरण (सी.आई.एस.) संख्याः–11/2022

CnR RJSK160003942022

एफ.आई.आर. रिपोर्ट संख्या–105/2022 पुलिस थाना सदर, फतेहपुर

राजस्थान राज्य

बनाम

1. सार्दुल सिंह पुत्र केशर सिंह उम्र 67 वर्ष, निवासी– हरसावा, पुलिस थाना सदर फतेहपुर, जिला–सीकर, राजस्थान।
2. दिनेश सिंह उर्फ धनसिंह निवासी–हरसावा, पुलिस थाना सदर फतेहपुर, जिला–सीकर, राजस्थान। **(मफरूर दिनांक 21.08.2025)**

––अभियुक्तगण

उपस्थिति–

1– श्री जय कौशिक, विद्वान अपर लोक अभियोजक राज्य की ओर से।
2– श्री जितेन्द्र सिंह, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से।

अपराध अन्तर्गत धारा–498ए, 376(2)(n), 506 भारतीय दण्ड संहिता

अपराध का संक्षिप्त विवरण

अपराध की तिथि	24.11.2017
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	09.06.2022
आरोप–पत्र प्रस्तुत करने की तिथि	29.08.2022
आरोप विरचित किये की तिथि	22.03.2023
साक्ष्य आरम्भ किये जाने की तिथि	01.06.2023
निर्णय की तिथि	30.08.2025
दण्ड दिये जाने की तिथि (यदि कोई हो तो)	–––––

अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरण

अभियुक्त की क्रम संख्या	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर छोड़े जाने की तिथि	अभियुक्त पर आरोप का विवरण	दोषसिद्धि या दोषमुक्त	दिये गये दण्ड का विवरण (यदि कोई हो तो)	धारा 428 दं. प्र.सं.के परिप्रेक्ष्य हेतु अवधि
1–	सार्दुल सिंह	16.06.22	14.09.22	376(2)(n), 506 भा.दं.सं.	दोषमुक्त	–	–
2–	दिनेश सिंह उर्फ धनसिंह	**मफरूर**	**मफरूर**	498ए, 323 भां.दं.सं	**मफरूर**	–	–

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय साक्षियों की सूची

क–अभियोजन गवाहान

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य प्रकृति जो भी)
पी.डब्ल्यू–1	राजेन्द्र सिंह	नक्शा मौका घटनास्थल
पी.डब्ल्यू–2	दयाल सिंह	पीड़िता का पिता, नक्शा मौका
पी.डब्ल्यू–3	द्रोपदी कंवर	पीडिता की माता
पी.डब्ल्यू–4	डॉक्टर सुशील कुमार	चिकित्सीय साक्षी
पी.डब्ल्यू–5	डॉक्टर सुमन कुम्हार	चिकित्सीय साक्षी
पी.डब्ल्यू–6	अमरचंद	प्राप्ति रसीद
पी.डब्ल्यू–7	सुमन	धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम
पी.डब्ल्यू–8	आहत	शिकायतकर्ता/पीड़िता
पी.डब्ल्यू–9	राजेन्द्र प्रसाद	अन्वेषण अधिकारी
पी.डब्लू–10	जितेन्द्र सिंह शेखावत	फर्द गिरफ्तारी, फर्दजब्ती, फर्द तस्दीक घटनास्थल
पी.डब्ल्यू–11	मंगेजाराम	फर्द गिरफ्तारी, फर्दजब्ती
पी.डब्ल्यू–12	रामनिवास	एफएसएल रिपोर्ट
डी.डब्ल्यू–1	सार्दुल सिंह	अभियुक्त

अभियोजन/प्रतिरक्षा /न्यायालय प्रदर्शों की सूची
क–अभियोजन प्रदर्श

प्रदर्श का क्रम	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण
1	प्रदर्श पी–1/P.W.–1	हालात मौका व नक्शा मौका दिनांक 11.06.2022
2	प्रदर्श पी–2/P.W.–4	सार्दुल सिंह का चोट प्रतिवेदन दिनांक 17.06.2022
3	प्रदर्श पी–3/P.W.–4	मेडिकल मुआयना कराने की तहरीर दिनांक 16.06.22
4	प्रदर्श पी–4/P.W.–4	आईडेंटिफिकेशन फार्म दिनांक 17.06.2022
5	प्रदर्श पी–5/P.W.–4	एफएसएल कवरिंग लेटर दिनांक 17.06.2022
6	प्रदर्श पी–6/P.W.–5	आहत की मेडिकल मुआयना बाबत तहरीर 11.06.2022
7	प्रदर्श पी–7/P.W.–5	आहत का चोट प्रतिवेदन 11.06.2022
8	प्रदर्श पी–8/P.W.–5	एफएसएल आईडेंटिफिकेशन फार्म दिनांक 11.06.2022
9	प्रदर्श पी–9/P.W.–5	सेंपल का विवरण फार्म दिनांक 11.06.2022
10	प्रदर्श पी–10/P.W.–10	एफएसएल की प्राप्ति रसीद दिनांक 29.06.2022
11	प्रदर्श पी–11	आहत के धारा 161 सीआरपीसी के बयान 10.06.2022
12	प्रदर्श पी–12	धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण–पत्र
13	प्रदर्श पी–13/P.W.–8	लिखित रिपोर्ट दिनांक 09.06.2022
14	प्रदर्श पी–14/P.W.–8	आहत के धारा 164 सीआरपीसी के बयान 14.06.2022
15	प्रदर्श पी–15/P.W.–9	प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 09.06.2022
16	प्रदर्श पी–16/P.W.–9	नमूना सील दिनांक 09.06.2022
17	प्रदर्श पी–17/P.W.–9	फर्द गिरफ्तारी सार्दुल सिंह दिनांक 16.06.2022
18	प्रदर्श पी–18/P.W.–9	सूचना धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम दिनांक 17.06.22
19	प्रदर्श पी–19/P.W.–9	फर्द तस्दीक घटनास्थल दिनांक 17.06.2022
20	प्रदर्श पी–20/P.W.–9	फर्दजब्ती दिनांक 09.06.2022
21	प्रदर्श पी–21/P.W.–9	अग्रेषण पत्र
22	प्रदर्श पी–22/P.W.–9	अग्रेषण पत्र दिनांक 21.06.2022
23	प्रदर्श पी–23/P.W.–9	नोटिस अंतर्गत धारा 41–क दंड प्रक्रिया संहिता 17.06.2022
24	प्रदर्श पी–24/P.W.–9	फर्द गिरफ्तारी दिनेश सिंह उर्फ धनसिंह दिनांक 07.07.2022
25	प्रदर्श पी–25/P.W.–12	एफएसएल रिपोर्ट दिनांक 31.07.2025
26	प्रदर्श पी–26/P.W.–12	एफएसएल रिपोर्ट दिनांक 31.07.2025

ख–प्रतिरक्षा प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
1	प्रदर्श डी–1	बयान 161 सीआरपीसी दयाल सिंह
2	प्रदर्श डी–1	बयान 161 सीआरपीसी द्रौपदी कंवर
3	प्रदर्श डी–1/D.W.1	पारिवारिक समझौता

प्रदर्श डी–1 सहवन से तीन बार अंकित

ग–न्यायालय प्रदर्श (यदि कोई हो तो)– निल–

घ–माल विषय संख्या –

क्र.सं.	माल विषय संख्या	माल का विवरण
1	आर्टिकल–1	सीडी

<u>नि र्ण य</u> **<u>दिनांक 30.08.2025</u>**

1– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि आहत द्वारा एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–13 इस आशय की दर्ज कराई कि उसकी शादी 24 नवंबर 2017 को उसके पिता के घर ग्राम कासली में हुई व शादी के बाद वह ससुराल चली गई। वहां पर 5–7 दिन ठीक रहने के बाद एक दिन दोपहर में उसकी सास गुलाब कंवर, ननंद गुड्डी कंवर एवं पति धन्नसिंह खेत में गये हुए थे तब पीछे से उसके ससुर द्वारा उसको कमरे में ले जाकर जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ बलात्कार किया व वह काफी डर जाने के कारण उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई तथा उसके बाद उसका पति विदेश चला गया और उसका ससुर उसके साथ लगातार देह शोषण करता रहा। एक दिन थक हारकर उसके द्वारा यह बात छोटी ननंद गुड्डी को बताये जाने पर उसने व उसकी सास ने मिलकर उसको बेरहमी से मारा तथा इस बात का पता राजू कंवर के बेटे रविसिंह को पता चलने पर उसके द्वारा हरसावा आकर उसके साथ काफी मारपीट की गई। उसके पति के विदेश से आने पर जब उसने यह बात उसे बताई तब उसने भी उसके साथ मारपीट की। उसकी सास की मृत्यु दिनांक 03.11.2020 को हो गई तथा उसकी सास की मृत्यु के तीन दिन बाद ही उसके ससुर द्वरा उसके साथ रात को 12 बजे के लगभग जबरदस्ती अपने कमरे में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया गया। उसके ससुराल वालों द्वारा इस बात का पता चलने पर उसके साथ मारपीट कर उसे सड़क पर डाल दिया तथा जब उसके पिता को इस बात की जानकारी हुई

तब यह लोग उसे मिर्गी के दौरे आने की बात कहने लग गये तब उसके पिता दयाल सिंह उसे अपने साथ लेकर कासली ले आये तब से लेकर आज दिन तक वह अपने पिता के घर में रह रही है... ..इत्यादि।

2– उपर्युक्त रिपोर्ट के आधार पर दर्ज एफआईआर संख्या 105/2022 पुलिस थाना सदर फतेहपुर में अपराध अंतर्गत धारा 498ए, 376(2)(n), 323, 341, 506 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर बाद अन्वेषण अभियुक्त दिनेश सिंह उर्फ धन्ना सिंह के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 498ए, 323 भारतीय दण्ड संहिता व अभियुक्त सार्दुल सिंह के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 376(2)(n), 498ए, 506 भारतीय दंड संहिता में आरोप पत्र न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहपुर के समक्ष पेश किया, जिस पर अभियुक्त दिनेश सिंह उर्फ धन्ना सिंह के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 498ए, 323 भारतीय दण्ड संहिता व अभियुक्त सार्दुल सिंह के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 376(2)(n), 498ए, 506 भारतीय दंड संहिता में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से प्रकरण इस न्यायालय को कमिट किया गया।

3– न्यायालय द्वारा पत्रावली कमिट होकर प्राप्त होने पर दिनांक 14.09.2022 को प्रकरण दर्ज किया जाकर बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त दिनेश सिंह उर्फ धन्ना सिंह के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 498ए, 323 भारतीय दण्ड संहिता व अभियुक्त सार्दुल सिंह के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 376(2)(n), 506 भारतीय दंड संहिता का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, जिस पर अभियुक्तगण द्वारा आरोपों से इनकार कर विचारण चाहा गया।

4– अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण के संक्षिप्त विवरण में वर्णित सूची अनुसार साक्षी पी.डब्लू–1 से पी.डब्लू–12 को परीक्षित करवाया गया एवं दस्तावेज प्रदर्श पी–1 से प्रदर्श पी–25 को प्रदर्शित करवाया गया।

5– साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात अभियुक्त को धारा –313 दण्ड प्रक्रिया संहिता (351 बीएनएसएस) के अधीन परीक्षित किये जाने पर अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुए स्वयं को निर्दोष होना बताया तथा प्रतिरक्षा में साक्ष्य पेश करना चाहा एवं डी.डब्ल्यू 1 के रूप में स्वयं को परीक्षित करवाया जाकर दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श डी –1 प्रदर्शित करवाया गया।

6– बहस उभयपक्ष सुनी गई तथा बहस के दौरान अपर लोक अभियोजक द्वारा

अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोप संदेह से परे साबित होने से अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया गया।

7– उपर्युक्त तर्कों के खण्डन में अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा तर्क दिया गया कि प्रकरण में आहत द्वारा उसके साथ उसके ससुर द्वारा कोई गलत काम नहीं किये जाने का कथन किया गया है तथा सभी साक्षियों द्वारा यह जाहिर किया गया है कि आहत के भरण–पोषण की राशि प्राप्त करने के लिए यह मुकदमा दर्ज करवाया गया है। इसके अतिरिक्त घटना की कोई निश्चित तारीख नहीं बताई गई है एवं आहत अपने सास की मृत्यु के समय अपने ससुराल में रही हो ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है तथा एफएसएल रिपोर्ट से भी अभियोजित अपराध साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावे।

8– उभय पक्ष को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्नानुसार हैं–

(1) क्या अभियुक्त सार्दुल सिंह द्वारा दिनांक 24.11.2017 को गांव हरसावा छोटा में विवाह के पश्चात् पीड़िता के ससुर होते हुए आहत के विवाह के चार–पांच दिन पश्चात् से उसके ससुराल में रहने तक आहत की इच्छा के विरुद्ध व सहमति के बिना तथा जान से मारने की धमकी देकर बार–बार मैथून कर बलात्कार किया गया?

(2) यदि उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है तो अभियुक्त को किस दण्ड से दण्डित किया जावे?

9– आरोपित अपराध साबित करने के लिए अभियोजन साक्षियों द्वारा परीक्षा में किये गये कथन संक्षेप में निम्नानुसार हैं–

(i) पी.डब्लू–1 ने उसकी चाचा की बेटी बहिन आहत का ससुराल हरसावा छोटा में होने तथा उसके पति का नाम धनसिंह एवं ससुर का नाम सार्दुल सिंह होने, उसकी बहिन के पति और उसके ससुर द्वारा उसके साथ मारपीट किये जाने जिसका मुकदमा करवाने, दिनांक 06.11.2022 को पुलिस ग्राम हरसावा छोटा में आने और घटना का नक्शामौका उसके सामने बनाये जाने व नक्शामौका घटनास्थल प्रदर्श पी 1 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर होने का कथन किया है।

(ii) पी.डब्ल्यू 2 ने उसके लडके का नाम नरेंद्र सिंह व आहत उसकी पुत्री होने, आहत की शादी 24.11.2017 को धन्न सिंह पुत्र सार्दुलसिंह सिंह के साथ होने, शादी के बाद उसकी पुत्री अपने ससुराल गांव हरसावा मे रहने लग जाने, बाद में उसका दामाद धनसिंह

विदेश कमाने खाने चले जाने, सार्दुलसिंह जो उसकी बेटी का ससुर है द्वारा उसकी बेटी आहत के साथ बलात्कार कर लिये जाने, उसकी लडकी की सास गुलाब कंवर व ननद गुडी व उसकी लडकी का पति धनसिंह एक दिन खेत में गये हुए होने के कारण उसकी बेटी को अकेला देखकर सार्दुलसिंह सिंह द्वारा पकड़ लिये जाने व बलात्कार किये जाने, उसकी बच्ची को तीन साल पहले रविसिंह तथा गुलाबकंवर और प्रहलाद सिंह व सार्दुलसिंह द्वारा मारपीट कर घर से निकाल दिये जाने तथा घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–1 पर एक्स स्थान पर उसका अंगूठा निशानी होने का कथन किया है।

प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने उसकी पुत्री तीन वर्ष से उसके घर में होने व इस अवधि में हरसावा नहीं जाने, उसकी बेटी की सास को खत्म हुए दो वर्ष हो जाने, उसकी बेटी की सास खत्म होने के समय उसकी बेटी उसके घर पर ही होने और अपने ससुराल नहीं जाने, उसकी बेटी को कौनसे साल व कौनसी तारीख को घर से निकाला नहीं बता सकने और यह मुकदमा सार्दुल सिंह और धन्न सिंह द्वारा उसकी बेटी की रोटी की व्यवस्था करने के लिए करवाये जाने, चार वर्ष पूर्व उसकी पुत्री द्वारा बलात्कार की बात बताये जाने, पहली व दूसरी बार बलात्कार वर्ष 2022 में होने एवं तीसरी बार बलात्कार वर्ष 2023 में होने, आहत को यह लोग आराम से रखे इसके लिए मुकदमा दर्ज करवाये जाने, उसकी पुत्री भोली–भाली लड़की होने जिसके रोटियों की व्यवस्था होनी जरूरी होने तथा अगर उन लोगों द्वारा पैसे दिये जायें तो उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहे जाने के सुझावों को स्वीकार किया है।

(iii) पी.डब्ल्यू 3 ने आहत उसकी पुत्री होने जिसका विवाह 6 वर्ष पहले धनसिह के साथ होने तथा ससुर का नाम सार्दुल सिंह होने, उसका दामाद धनसिंह विदेश में नोकरी करने, उसकी लडकी के ससुर सार्दुल सिंह द्वारा उसके साथ गलत काम किये जाने, उसकी लडकी को उसकी दोनों ननदों द्वारा ठोक–मार कर सडक पर भगा दिये जाने, उसकी लडकी के अपने ससुराल में रहने के दौरान रसोई व चौबारे में जाने पर उसके ससुर द्वारा उसके पीछे जाकर गलत काम किये जाने, उसकी लडकी की सास की मृत्यु के दो– तीन दिन बाद ही उसकी लडकी के साथ उसके ससुर सार्दुल द्वारा गलत काम किये जाने तथा उपर्युक्त बात उसकी लडकी द्वारा उसे बताई जाने, उसकी लडकी के नहाने के लिए नहानघर जाने पर सार्दुल द्वारा नहानघर मे जाकर अंदर कुंदा लगाकर उसकी लडकी के साथ गलत काम किये जाने, उसकी लडकी के साथ उसकी ननद गुडडी कंवर और राजूकंवर तथा नानदा रविप्रकाश व उसके ससुर सार्दुल सिंह द्वारा मारपीट किये जाने तथा धनसिंह के विदेश से

आने और इस बात का पता चलने पर उसके द्वारा भी उसकी लडकी के साथ मारपीट किये जाने व घर से निकाल दिये जाने का कथन किया है।

प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने उसकी लडकी की सास की मृत्यु की सूचना 5–10 दिन बाद उन्हें मिलने व सास के बाहरवें के दिन उसके अपने पति व आहत पुत्री के साथ वहां जाने, आहत के पति व ससुर द्वारा उनकी पुत्री की रोटियों की व्यवस्था ना करने की वजह से उनके द्वारा यह मुकदमा दर्ज करवाये जाने तथा यदि आज भी उनके द्वारा रोटियों की व्यवस्था कर दी जाये तो उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहे जाने, उसकी पुत्री तीन साल से अपने पीहर में ही रहने, यह मुकदमा धन्नसिंह से उसकी बेटी को रूपये दिलवाये जाने के लिए करवाये जाने तथा उनके द्वारा यह मुकदमा निपटाने के लिए तैयार होने के सुझावों को स्वीकार किया है।

(iv) पी.डब्ल्यू 4 ने दिनांक 17.06.2022 को एसडीएच फतेहपुर में चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत होने, उस दिन सदर थाना फतेहपुर के प्रतिवेदन पर उसने सार्दुलसिंह पुत्र केसर सिंह का पोटेंसी टेस्ट किये जाने, मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी सार्दुलसिंह का पहचान चिह्न तथा ई से एफ सार्दुलसिंह के हस्ताक्षर एवं जी से एच पोटेंसी टेस्ट करवाने की सहमति होने, पुलिस प्रतिवेदन आरोपी सार्दुलसिंह की पोटेंसी टेस्ट करने बाबत तहरीर प्रदर्श पी–3 होने, डीएनए एग्जामिनेशन का आइडेंटिफिकेशन फॉर्म सार्दुल सिंह प्रदर्श पी–4 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर होने, सी से डी लिये गये सेंपल का विवरण व ई से एफ सार्दुलसिंह के हस्ताक्षर होने, एफएसएल कवरिंग लेटर प्रदर्श पी–5 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर होने, एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना सील अंकित होने का कथन किया है।

प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने जिस दिन आरोपी का परीक्षण किया गया उस दिन उसके जननांगों पर कोई चोट वगैरह के निशान नहीं होने के सुझाव को स्वीकार किया है।

(v) पी.डब्ल्यू 5 ने दिनांक 11.06.2022 को उप जिला अस्पताल फतेहपुर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थापित होने, उस रोज पुलिस थाना सदर फतेहपुर के प्रतिवेदन प्रदर्श पी–6 पर पीडिता आहत पत्नि धनसिंह उम्र 26 का दुष्कर्म संबंधी शारीरिक परीक्षण किये जाने, मेडिकल रिपोर्ट में परीक्षण के समय आहत स्थान दिनांक व समय स्थान को बताने में सक्षम होने तथा पीड़िता सामान्य अवस्था में व वयस्क होने एवं परीक्षण में उसके शरीर एवं आंतरिक जननांगों पर कोई चौट का निशान नहीं पाये जाने, मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श

पी–7 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी पीड़िता का पहचान चिह्न अंकित होने एवं ई से एफ उसकी राय अंकित और जी से एच पीड़िता अपना दुष्कर्म संबंधी शारीरिक परीक्षण करवाने की अनुमति प्रदान करने का अंकन होने जिसके नीचे आई से जे आहत के हस्ताक्षर होने, प्रदर्श पी–8 व प्रदर्श पी–9 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर होने का कथन किया है।

प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने परीक्षण के दौरान आहत के सिर व जननांगों पर गंभीर चोट के कोई निशान नहीं होने तथा आहत के साथ दुष्कर्म हुआ अथवा नहीं यह नहीं बता सकने के सुझावों को स्वीकार किया है।

(vi) पी.डब्ल्यू 6 ने दिनांक 29.06.2022 को पीएस सदर फतेहपुर मे कांस्टेबल के पद पर कार्यरत होने तथा एचएम मालखाना इंचार्ज से प्राप्त आठ सील्डसुदा पैकेट मय अग्रेषण पत्र एफएसएल में जमा करवाने तथा प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी–10 एचएम मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द कर दिये जाने का कथन किया है।

प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने आर्टिकल–8 पर किसकी मोहर लगी थी यह उसे याद नहीं है व अग्रेषण पत्र की दिनांक व नंबर उसे आज याद नहीं होना जाहिर किया है।

(vii) पी.डब्ल्यू 7 ने दिनांक 10.06.2022 को पीएस सदर फतेहपुर मे कानि0 के पद पर कार्यरत होने, उस रोज आहत के बयान प्रदर्श पी–11 अन्वेषण अधिकारी के निर्देशन में उसके द्वारा उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये जाने, जो प्रदर्श पी–11 होने जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर होने, उनके बयानो की विडियोग्राफी की सीडी उसके द्वारा तैयार कर अन्वेषण अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद को दी जाने, जिनका उसने धारा 65 बी का भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–12 बनाये जाने जिस पर उसके ए से बी हस्ताक्षर होने व उसके द्वारा तैयार करवायी गयी सीडी पत्रावली मे संलग्न होने का कथन किया है।

प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने प्रदर्श पी–12 उसके द्वारा ही टाईप की गई हो ऐसा प्रदर्श पी–12 पर नहीं लिखे जाने व सीडी मानू स्टूडियो से बनाई गई हो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं होने के सुझाव को स्वीकार किया है।

(viii) पी.डब्ल्यू 8 ने उसका विवाह लगभग 8 साल पहले कम उम्र मे ही हो जाने, शादी के बाद मे ससुराल आ जाने पर उसके साथ उसके ससुर सार्दुल सिंह तथा उसके पति व उसकी ननद के द्वारा मारपीट किये जाने, अभियुक्त द्वारा उसके साथ गलत काम किये जाने, अभियुक्त द्वारा उसे दो बार कमरे मे ले जाकर उसके बाद उसके कपडे खोलकर उसके साथ

जो आदमी और औरत के बीच होता है वह काम किये जाने, कपडे खोलकर उसे सुला दिये जाने लेकिन बाद मे कुछ नही किये जाने, दो बार उसके ससुर व चार बार उसके पति द्वारा उसके उपर सो जाने तथा उस समय कमरे में उसके पति व ससुर दोनों साथ होने, उसकी सास की मृत्यु के बाद उसका ससुर उसके पास नहीं आने, उसके साथ हुये गलत काम की बात किसी को नही बताई जाने, उसके द्वारा उपर्युक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस को प्रदर्श पी–13 दिये जाने जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर होने, पुलिस वालों द्वारा उसे अस्पताल ले जाकर उसका मेडिकल मुआयना प्रदर्श पी–7 किये जाने जिस पर आई से जे उसके हस्ताक्षर होने, उसके धारा 164 के कथन प्रदर्श पी–14 होने तथा उनमें जो बात लिखी हुई है वह उसके द्वारा लिखवाई जाने, प्रदर्श पी–1 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर होने, उसके अस्पताल मे खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाये जाने, एफ एस एल जांच हेतु लिये गये नमूने प्रदर्श पी–8 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर होने, पुलिस बयान प्रदर्श पी–11 का हिस्सा इ से एफ उसके द्वारा पुलिस को सही लिखवाये जाने का कथन किया है।

प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने प्रदर्श पी–13 किसने लिखकर थाने में दी थी यह उसे पता नहीं होने, प्रदर्श पी–13 में क्या लिखा था इस बात का उसे पता नहीं होने, सार्दुल सिंह द्वारा उसे रिपोर्ट देने के लिए कहे जाने व रिपोर्ट देते समय उसके माता–पिता उसके साथ होने, उसके द्वारा प्रदर्श पी–13 पर बहकावे में आकर हस्ताक्षर कर दिये जाने, उसकी सास की मृत्यु होने पर ससुराल नहीं आने, उसके ससुर उसे दो बार कमरे में किस दिन व किस महीने लेकर गये थे यह बता नहीं सकने, उसका पति उसे कमरे में किस दिन व किस महीने में लेकर गया यह नहीं बता सकने, उसके ससुर द्वारा दो बार व पति द्वारा चार बार उसके साथ गलत काम किये जाने लेकिन किस तारीख को व किस महीने में किये जाने यह नहीं बता सकने, प्रदर्श पी–14 के बयान अपने माता–पिता के कहे अनुसार दिये जाने, उसके पति व ससुर द्वारा उसके साथ कुछ नहीं किये जाने तथा उसे मिर्गी का दौरा आने के कारण यह रिपोर्ट प्रदर्श पी–13 दर्ज करवाये जाने व अपने ससुर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं चाहे जाने के सुझावों को स्वीकार किया है।

(ix) पी.डब्ल्यू 9 ने दिनांक 09.06.2022 को थाना सदर फतेहपुर मे एसआई के पद पर कार्यरत होकर उस दिन रिपोर्ट प्रदर्श पी–13 पुलिस अधीक्षक सीकर से प्राप्त होने जिसके आधार पर एफआईआर नम्बर 105/2022 अंतर्गत धारा 498ए, 376(2)(एन), 323, 341, 506 आईपीसी में दर्ज कर अन्वेषण स्वयं उसके द्वारा किये जाने, अन्वेषण के दौरान

घटनास्थल का का नक्शा मौका प्रदर्श पी–1 बनाने तथा आहत के चिकित्सकीय परीक्षण हेतु जारी तहरीर प्रदर्श पी–6 व उसका मेडिकल मुआयना प्रदर्श पी–7 तथा प्रदर्श पी–8 व प्रदर्श पी–9 उसके द्वारा शामिल पत्रावली किये जाने, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये जाने व आहत के कथन उसके निर्देशन मे महिला कानि. सुमन के द्वारा रिकॉर्ड किये जाने व आर्टिकल –1 प्रदर्श पी–12 व प्रदर्श पी–16 तैयार किये जाने, अभियुक्त को गिरफ्तार कर अन्वेषण किये जाने व उससे प्राप्त सूचना प्रदर्श पी–18 के आधार पर आरोपी की निशादेही से घटनास्थल जरिये प्रदर्श पी–19 तस्दीक किये जाने तथा आरोपी द्वारा वरवक्त घटना पहने गये कच्छे को बतौर वजह सबूत जरिये प्रदर्श पी–20 जब्त कर अन्वेषण में जब्त किये गये अन्य तथ्यों की एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी –25 व प्रदर्श पी–26 प्राप्त होने तथा अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किये जाने का कथन किया है।

प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने अभियुक्तगण द्वारा परिवादिया के साथ कब–कब मारपीट की गई, उसकी तारीख तथा महीना व समय नहीं बता सकने, परिवादिया द्वारा घटना दिनांक 03.11.2020 की बताई जाने व घटना की रिपोर्ट दिनांक 09.06.2022 को दर्ज करवाये जाने व देरी का कोई कारण स्पष्ट नहीं किये जाने तथा उसके द्वारा देरी से रिपोर्ट दर्ज करवाये जाने का कोई अन्वेषण में दर्ज नहीं किये जाने व आहत द्वारा मारपीट के संबंध में दिनांक 09.06.2022 से पूर्व कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाये जाने व प्रदर्श पी –26 रिपोर्ट नेगेटिव होने के सुझावों को स्वीकार किया है।

(x) पी.डब्ल्यू 10 व 11 ने अभियुक्त शार्दुल सिंह को आईओ राजेन्द्र प्रसाद द्वारा मुकदमा नम्बर 105/2022 में जरिये फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–17 गिरफ्तार किये जाने तथा उसके द्वारा हरसावा छोटा में अपने रिहायशी मकान कमरे मे पहुंचकर पीडिता के साथ बार–बार गलत काम किये जाने का स्थान जरिये प्रदर्श पी–19 तस्दीक करवाये जाने एवं दिनांक 16.06.2022 को आरोपी के द्वारा वरवक्त घटना पहना हुआ धारीदार पट्टेदार कच्छा जरिये फर्द जब्ती प्रदर्श पी–20 जब्त कर एक कपड़े की थैली मे रखकर सील मोहर कर मार्क ए अंकित किये जाने जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर होने का कथन किया है।

प्रतिपरीक्षा में पी.डब्ल्यू 10 ने प्रदर्श पी–19 व प्रदर्श पी–20 पर उसने हस्ताक्षर थाने पर किये या मौके पर यह नहीं बता सकने, प्रदर्श पी–20 में जब्त कच्छे को उसके द्वारा नहीं देखे जाने व उस पर सीलमोहर लगाते उसके द्वारा नहीं देखे जाने के सुझावों को स्वीकार किया है।

प्रतिपरीक्षा में पी.डब्ल्यू 11 ने प्रदर्श पी–17, प्रदर्श पी–20 व प्रदर्श पी–24 पर अपने हस्ताक्षर थाने पर किये जाने के सुझाव को स्वीकार किया है।

(xii) पी.डब्ल्यू 12 ने दिनांक 08.06.2025 को उसके पुलिस थाना सदर में उप निरीक्षण के पद पर कार्यरत रहने के दौरान मुकदमा नम्बर 105 की एफ एस एल रिपोर्ट प्राप्त होने जिसका फार्म प्रदर्श पी–25 तथा एफ एस एल रिपोर्ट प्रदर्श पी–26 होने जिन्हे उसके द्वारा न्यायालय में पेश किये जाने का कथन किया है।

(xiii) इसके विपरीत डी.डब्ल्यू 1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में आहत व उसके माता–पिता द्वारा उसके व उसके पुत्र के विरुद्ध पैसे लेने के लिए दबाव बनाने हेतु झूठा मुकदमा दर्ज करवाये जाने एवं दिनांक 24.04.2024 को आहत व अभियुक्तगण के मध्य हुआ समझौता प्रदर्श डी–1 होने का कथन किया है।

प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने आहत भोली–सयानी होने व उसे मिर्गी के दौरे आने के तथ्य को स्वीकार करते हुए मुकदमे की कार्यवाही से बचने के लिए आहत के उपर दबाव बनाकर राजीनामा करवाये जाने के सुझावों को गलत बताया है।

10– उभयपक्ष को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् आरोपित अपराध के सम्बन्ध में उपर्युक्त साक्ष्य का विवेचन इस प्रकार से है–

(i) घटना की लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–13 के अनुसार आहत का विवाह 24 नवंबर 2017 को होने के चार–पांच दिन पश्चात् उसकी सास, नंनद तथा पति खेत गये हुए थे तब पीछे से सार्दुल सिंह द्वारा उसे कमरे में ले जाकर जान से मारने की धमकी देकर बलात्कार किया गया तथा इसके बाद निरंतर अभियुक्त द्वारा उसके साथ बलात्कार किया जाता रहा एवं उसकी सास की मृत्यु दिनांक 03.11.2020 को होने पर मृत्यु के तीन दिन बाद ही उसके ससुर द्वारा रात को 12 बजे के लगभग उसे अपने कमरे में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया गया। इस संबंध में आहत द्वारा पी.डब्ल्यू 8 के रूप में अपनी परीक्षा में उसके ससुर द्वारा उसे दो बार कमरे में ले जाकर उसके कपड़े खोलकर जो आदमी व औरत के बीच होता है वह काम किये जाने तथा दो बार उसके ससुर तथा चार बार उसका पति उस पर सो जाने एवं पति तथा ससुर दोनों साथ होने का कथन किया गया है एवं अपनी सास की मृत्यु के बाद उसका ससुर उसके पास कभी नहीं आने का कथन किया है।

इस प्रकार से आहत द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में किये गये कथनों से उसके ससुर द्वारा उसके साथ बलात्कार किये जाने के समय उसका पति भी उसके साथ रहा होना प्रकट

होता है किन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट में वक्त घटना उसका पति खेत में गया हुआ होना अंकित किया गया है इसके अतिरिक्त साक्षी ने अपनी परीक्षा में उसकी सास की मृत्यु के दो दिन बाद उसके साथ होने वाले बलात्कार की घटना का कोई उल्लेख नहीं किया है। साथ ही आहत द्वारा घटना की लिखित रिपोर्ट अथवा धारा 164 सीआरपीसी के कथनों या अपनी परीक्षा में बलात्कार की किसी विशिष्ट घटना की कोई विशिष्ट तारीख जाहिर नहीं की गई है। यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि आहत द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में प्रदर्श पी –13 लिखित रिपोर्ट में क्या लिखा था यह उसे पता नहीं होने व साथ ही लिखित रिपोर्ट देने हेतु अपने ससुर सार्दुलसिंह अर्थात् अभियुक्त द्वारा कहे जाने का सुझाव स्वीकार किया गया है एवं उसकी सास की मृत्यु होने पर ससुराल नहीं जाने व उसके पति तथा ससुर द्वारा उसके साथ कुछ नहीं किये जाने व मिर्गी का दौरा आने से उसके द्वारा इस प्रकरण की रिपोर्ट दर्ज करवा दिये जाने और अपने ससुर के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहने के सुझावों को स्वीकार किया गया है जिससे आहत द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित तथ्यों की पुष्टि अपनी परीक्षा में नहीं की गई है एवं अभियुक्त द्वारा उसके साथ बलात्कार किये जाने के संबंध में विरोधाभासी कथन करते हुए उसके ससुर द्वारा उसके साथ कुछ नहीं किये जाने के सुझाव को भी स्वीकार किया गया है।

(ii) प्रकरण में आहत के अतिरिक्त महत्वपूर्ण साक्षी उसके माता व पिता हैं जो यद्यपि घटना के प्रत्यक्षदर्शी नहीं है किन्तु उनके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में आहत के ससुर के द्वारा आहत के साथ बलात्कार किये जाने का कथन करते हुए आहत के पिता द्वारा पी.डब्ल्यू 2 के रूप में अपनी परीक्षा में एक दिन जब आहत की सास व पति तथा ननंद खेत में गये हुए थे तब अकेला देखकर सार्दुल सिंह द्वारा उसके साथ बलात्कार किये जाने का कथन किया गया है एवं आहत की माता द्वारा पी.डब्ल्यू 3 के रूप में अपनी परीक्षा में आहत के ससुराल में रहने के दौरान उसके ससुर द्वारा उसके कमरे में जाकर उसके साथ बलात्कार किये जाने व आहत की सास की मृत्यु के तीन दिन बाद अभियुक्त द्वारा उसके साथ बलात्कार किये जाने का कथन किया गया है किन्तु इन दोनों ही साक्षियों के द्वारा आहत की सास की मृत्यु होने के समय उनकी बेटी ससुराल में नहीं होने तथा लगभग तीन वर्ष से उनकी पुत्री उनके साथ रहने का तथ्य स्वीकार किया गया है एवं पी.डब्ल्यू 3 ने आहत की सास की मृत्यु के बाहरवें दिन आहत के साथ उसके ससुराल जाने के सुझाव को स्वीकार किया है जिससे आहत की सास की मृत्यु के दूसरे दिन आहत के अपने ससुराल में होने का तथ्य साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उस दिन अभियुक्त द्वारा आहत के साथ बलात्कार

किया जाना विश्वास योग्य तथ्य नहीं पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इन दोनों ही साक्षियों के द्वारा अपनी पुत्री के भरण–पोषण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हस्तगत मुकदमा दर्ज करवाये जाने के सुझावों को भी स्वीकार किया गया है जिससे इन दोनों साक्षियों द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में किये गये कथन अखण्डनीय नहीं रह जाते हैं।

(iii) उपर्युक्त के अतिरिक्त चिकित्सकीय साक्षियों द्वारा वक्त परीक्षण आहत के जननांगों पर कोई क्षति के चिह्न नहीं पाये गये हैं एवं एफ एस एल रिपोर्ट प्रदर्श पी –26 में भी आहत के Vaginal Swab में फीमेल डीएनए प्रोफाइल ही पाया गया है तथा Vaginal Smear में मिक्स्ड डीएनए प्रोफाईल पाया गया है किन्तु मेल डीएनए प्रोफाइल नहीं पाया गया है जिससे एफ एस एल रिपोर्ट से भी अभियुक्त द्वारा आहत के साथ घटना से कुछ समय पूर्व बलात्कार किया जाना प्रकट नहीं होता है।

(iv) इसके अतिरिक्त यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि घटना की रिपोर्ट में वर्ष 2017 में ही प्रथम बार अभियुक्त द्वारा आहत के साथ बलात्कार किया जाना बताया गया है तथा अन्वेषण अधिकारी के अनुसार परिवादिया द्वारा घटना दिनांक 03.11.2020 की बताई गई है किन्तु घटना की रिपोर्ट दिनांक 09.06.2022 को अर्थात् अंतिम बार बलात्कार के भी लगभग डेढ वर्ष पश्चात् दर्ज करवाई गई है एवं रिपोर्ट विलंब से पेश किये जाने का कोई कारण आहत द्वारा जारी नहीं किया गया है साथ ही रिपोर्ट दर्ज करवाये जाने से पूर्व निरंतर आहत अपने पिता के घर में निवास किये जाने से यह भी नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त द्वारा आहत को घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाये जाने से रोका गया हो।

(v) इस प्रकार से प्रकरण के आहत व उसके माता–पिता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों से भिन्न कथन किये जाने व उनकी मुख्य परीक्षा में किये गये कथन प्रतिपरीक्षा में अखण्डनीय नहीं रह जाने तथा एफ एस एल रिपोर्ट से घटना की पुष्टि नहीं होने व घटना के लगभग डेढ वर्ष बाद रिपोर्ट दर्ज करवाये जाने किन्तु विलंब का कोई कारण पत्रावली पर नहीं होने तथा स्वयं आहत द्वारा अपने साथ बलात्कार की घटना से इनकार किये जाने और इन सभी साक्षियों द्वारा आहत के भरण–पोषण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हस्तगत प्रकरण को दर्ज करवाये जाने के स्वीकृत तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अभियोजन पक्ष यह तथ्य संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त सार्दुल सिंह द्वारा दिनांक 24.11.2017 को गांव हरसावा छोटा में विवाह के पश्चात् पीड़िता के ससुर होते हुए आहत के विवाह के चार–पांच दिन पश्चात् से उसके ससुराल में रहने तक आहत की इच्छा के

विरुद्ध व सहमति के बिना तथा जान से मारने की धमकी देकर बार –बार मैथून कर बलात्कार किया गया हो, जिससे अभियुक्त को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा–376 (2) (n), 506 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

– आदेश–

11– परिणामतः अभियुक्त सार्दुल सिंह पुत्र केशर सिंह उम्र 67 वर्ष, निवासी– हरसावा, पुलिस थाना सदर फतेहपुर, जिला–सीकर, राजस्थान आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा–376 (2)(n), 506 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में सन्देह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त की उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।अभियुक्त द्वारा बीएनएसएस की धारा–481 (437 ए दण्ड प्रक्रिया संहिता) की पालना की जा चुकी है।

प्रकरण में अभियुक्त दिनेश सिंह उर्फ धनसिंह मफरूर है अतः पत्रावली के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से इस आशय का नोट अंकित किया जावे कि पत्रावली के किसी भी भाग को नष्ट नहीं किया जावे।

(विकास ऐचरा)
अपर सेशन न्यायाधीश, फतेहपुर
जिला–सीकर(राज.)

12– निर्णय आज दिनांक 30.08.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास ऐचरा)
अपर सेशन न्यायाधीश, फतेहपुर
जिला–सीकर(राज.)